

प्रकरण सं० १७/१ अनवान क्र० १६४/१७/१७
Continuation Note Sheet

8-5-17 आज राजस्थान लोक अदालत न्याय
आपके द्वारा अभियान 2017 के दौरान
कैम्प केरें ॥ L.N.P में मजिस्ट्रेट आर
में प्रार्थना के अलावा लगभग 20
कैरें उपस्थित नहीं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया
बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा
सब प्रार्थना के बाद संशोधन हेतु
प्रार्थना-प्रस्तुत कर निवेदन किया है
बाद पत्र में संशोधन के बाद पत्र
में प्रकृति पर प्रभाव पड़े से
प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं है
तादसील विपोर्ट के संलग्न दायना में
प्रार्थीगण द्वारा निशुल्क रास्ता पाया
गया है रास्ते की शर्त के बदले
में कैरें प्रतिकूल नहीं दिये जाने
के कारण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 251(A) R.T.A स्वीकार किया
जाना न्यायाचार नहीं है प्रार्थी द्वारा
उपस्थित नहीं होने रास्ते की शर्त के
बदले के कैरें प्रतिकूल नहीं देने तथा
प्रार्थना-पत्र में संशोधन पाएने से
बाद पत्र की प्रकृति प्रभावित होने के कारण
प्रार्थना-पत्र धारा 251(A) वर्तमानकाल
पर शर्तित किया जाकर निर्णय मजिस्ट्रेट आर
में सुनाया गया। पत्रवली नंबर से कर की
जाकर बाद तादसील शर्तित न्यतर है।

A/3

(अधीक्षक अधीक्षक)